

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/टी०-03/2019- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2019

विभागीय अधिसूचना संख्या-1270(2) दिनांक-04.11.2018 के क्रमांक 84 पर अंकित डा० मो० नजीरुद्दीन यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घोघरिया, मरौना, सुपौल का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरायगढ़ भपटियाही सुपौल में किये गये स्थानान्तरण का क्रियान्वयन स्थगित किया जाता है।

2. डा० मो० नजीरुद्दीन को निदेश दिया जाता है कि वे अपने पूर्व पदस्थापित स्थान अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घोघरिया मरौना सुपौल में ही यथावत बने रहेंगे।
3. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अनिल कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-2/एम-14/2017- 138(2) पटना, दिनांक 01/02/2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी, सुपौल/सिविल सर्जन, सुपौल/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घोघरिया, मरौना, सुपौल/डा० मो० नजीरुद्दीन यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घोघरिया, मरौना, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

02
1.2.19

सरकार के संयुक्त सचिव।